

जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित देवास, म०प्र०

क्रमांक/सीबीएस/2018-19/1653

देवास, दिनांक : 30.7.18.

प्रति,

शाखा प्रबंधक
शाखा स्टेशन रोड देवास

विषय :- बैंक लॉकर किराया दरों में संशोधन बाबत ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि दिनांक 26.07.2018 को बैंक प्रशासक महोदय की बैठक के प्रस्ताव क्रमांक 16, दिनांक 26.07.2018 में लिये गये निर्णय के पालन में बैंक लॉकर किराये में संशोधन निम्नानुसार किया गया है, जो कि दिनांक 01 अगस्त 2018 से प्रभावशील रहेगी ।

छोटा लॉकर एस-1		मिडियम लॉकर एम-1		बडा लॉकर एल-1	
प्रतिवर्ष लॉकर किराया	लॉकर आवंटन के पूर्व जमा कराई जाने वाली फिक्स डिपाजिट	प्रतिवर्ष लॉकर किराया	लॉकर आवंटन के पूर्व जमा कराई जाने वाली फिक्स डिपाजिट	प्रतिवर्ष लॉकर किराया	लॉकर आवंटन के पूर्व जमा कराई जाने वाली फिक्स डिपाजिट
500/- रु	10,000/- रु	750/- रु	15,000/- रु	1000/- रु	20,000/- रु

उक्तानुसार स्वीकृत दरे लॉकर होल्डर से वसूल की जावे। लॉकर किराया भुगतान में चूक होने की स्थिति में छोटे लॉकर के लिये राशि रु. 50/- मिडियम लॉकर के लिये राशि रु. 100/- एवं बडे लॉकर के लिये राशि रु. 150/- प्रति त्रैमास लॉकर होल्डर से वसूल की जावे। यदि इसके पश्चात भी लॉकर होल्डर द्वारा किराया जमा नहीं किया जाता है तो जमा एफ.डी. से लॉकर किराया की वसूली की जावे।

बैंक के भूतपूर्व अधिकारी कर्मचारी जो 02 वर्ष से अधिक अवधि तक बैंक में पदस्थ रहे हैं को भी लॉकर की सामान्य दरों से 50 प्रतिशत कम दर पर लॉकर सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। पत्र की प्रति बैंक के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जावे।


लॉकर हेतु नियम एवं शर्तें पत्र के संलग्न हैं।


संलग्न उपरोक्तानुसार-

प्रतिलिपि :-

1. शाखा प्रबंधक, समस्त शाखाओं की ओर सूचनार्थ ।
2. समस्त कक्ष प्रमुख, प्रधान कार्यालय देवास की ओर सूचनार्थ ।




उपायुक्त सहकारिता एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी


उपायुक्त सहकारिता एवं
मुख्य कार्यकारी अधिकारी